8

40

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-5) विभाग

सं० प० 9(26)कार्मिक/क-5/95 जयपुर, दिनांक: 11-3-97

-: परिपत्र :-

विषय:-पिछड़े वर्गों के आरक्षण के सम्बन्ध में ।

इस विभाग की अधिसूचना सं० प० 9(8)कार्मिक/क-5/90, दिनांक 28.9.93 के साथ उपाबद्ध अनुसूची के कालम 3 में अन्य पिछड़े वर्ग के उन व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) को विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा । उक्त उपाबद्ध अनुसूची के बिन्दु संख्या II में राजकीय सेवाओं में कार्यरत ग्रुप-1 एवं ग्रुप-2 के अधिकारियों पर लागू होने वाले अपवर्जन के नियम वर्णित हैं । इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 15.4.96 द्वारा अपवर्जन के प्रयोजनार्थ ग्रुप-1 एवं ग्रुप-2 स्तर के अधिकारियों के मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धी स्पष्टीकरण जारी करते हुए जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु सक्षम विभिन्न प्राधिकारियों को निर्धारित मापदण्ड के अन्तर्गत जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया था ।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त स्पष्टीकरण दिनांक 15.4.96 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए स्पष्टीकरण चाहा गया है कि ऐसे अभ्यार्थी जिनको उक्त स्पष्टीकरण दिनांक 15.4.96 जारी होने से पूर्व में क्रीमीलेयर का नहीं होना प्रमाणित किया गया है, लेकिन उक्त स्पष्टीकरण के जारी होने के उपरान्त उक्त अभ्यार्थी क्रीमीलेयर श्रेणी में आ जाते हैं, ऐसे अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ देय है अथवा नहीं तथा ऐसे प्रमाण-पत्रों का परीक्षण किस स्तर पर होगा ।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा परीक्षण किया गया तथा परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया गया है कि ऐसे अभ्यार्थी जो कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 15.4.96 द्वारा जारी स्पष्टीकरण के पूर्व की स्थिति के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के होने का अर्थात क्रीमीलेयर का नहीं होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है और चयन होने की दिनांक अर्थात् परिणाम घोषित होने तक क्रीमीलेयर की श्रेणी में आ जाता है, तो ऐसे अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र सेवाओं/पदों में नियुक्ति के प्रयोजनार्थ उपयुक्त नहीं माना जावे तथा उसे क्रीमीलेयर में समझा जावे ।

अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र के क्रीमीलेयर के परिप्रेक्ष में परीक्षणार्थ स्पष्ट किया जाता है कि साक्षात्कार के समय या जहां साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है, अन्तिम परिणाम घोषित होने के पूर्व क्रीमीलेयर

......2..

में आने/ न आने का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित नियुक्तिकर्ता अधिकारी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थी से अनिवार्य रूप से प्राप्त करें । यह प्रक्रिया आयोग द्वारा भरे जाने वाले पदों और नियुक्ति अधिकारी के परिक्षेत्र के पदों पर समान रूप से लागू होगी ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर ।
2- वि० सहायक, मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री ।
3-निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर ।
4-समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव ।
5-समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स एवं सम्भागीय आयुक्त सहित)
6-सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ ।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1-सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2-सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
3-पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर ।
4-पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
5-सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6-रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव